कार्यालय– प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जिला– होशंगाबाद (म.प्र.)

// विविध आदेश //

क्रमांक–**855** /दो–1–8/19 होशंगाबाद दिनांक 21.04.2021

न्यायिक जिला होशंगाबाद में कोविड–19 के संक्रमितों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट होशंगाबाद द्वारा दिनांक 22 अप्रैल 2021 की प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 30 अप्रैल 2021 के प्रातः 06:00 बजे तक संपूर्ण जिला होशंगाबाद में कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा जारी पूर्व में जारी एस.ओ.पी. क्रमांक ए/113 दिनांक 15.01.2021 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालय कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट होशंगाबाद के उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में इस कार्यालय द्वारा विविध आदेश क्रमांक–853/दो–1–8/19 होशंगाबाद दिनांक 21.04.2021 द्वारा दिनांक 22, 23, 26, 27, 28, 29 अप्रैल 2021 को जिला होशंगाबाद के समस्त न्यायालयों में (परिवार न्यायालय एवं श्रम न्यायालय सहित) अकार्य दिवस घोषित किया गया है।

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी संशोधित विविध आदेश क्रमांक 843/दो–1–8/19 होशंगाबाद दिनांक 09.04.2021 द्वारा दिनांक 10.04.2021 एवं 24.04.2021 को तथा विविध आदेश क्रमांक 847 दिनांक 14.04.2021 द्वारा दिनांक 15, 16, 19 एवं 20 को अकार्य दिवस घोषित किये गये थे एवं अकार्य दिवसों में नियत समस्त प्रकरणों को आगामी कार्य दिवस में सुनवाई में लिये जाने का निर्देश दिया गया था।

चूंकि कार्यालय विविध आदेश 853 दिनांक 21.04.2021 द्वारा दिनांक 22.04.2021 से दिनांक 29.04.2021 तक के कार्य दिवसों को अकार्य दिवस घोषित किया गया है एवं इस अवधि में अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों के अतिरिक्त अन्य कार्य नहीं किये जाएंगे। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि दिनांक 10.04.2021 से दिनांक 29.04.2021 तक के मध्य जिला होशंगाबाद के समस्त न्यायालयों में सुनवाई हेतु नियत सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में आगामी तिथियां नियत की जाएं।

मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों द्वारा पूर्व विविध आदेश 847 होशंगाबाद दिनांक 14.04.2021 द्वारा घोषित अकार्य दिवसों में नियत प्रकरणों में से कुछ अर्जेंट प्रकृति के मामलों को छोड़कर अन्य प्रकरणों में विभिन्न आगामी तिथियां नियत कर दी गयी थीं। उक्त अवधि में समस्त न्यायालय में लंबित प्रकरणों की आगामी तिथियों में समरूपता रहे इसको ध्यान में रखते हुए पूर्व विविध आदेश 847 होशंगाबाद दिनांक 14.04.2021 द्वारा घोषित अकार्य दिवसों में नियत प्रकरणों में नियत की गयी समस्त आगामी तिथियों को निरस्त किया जाता है एवं जिला होशंगाबाद के समस्त न्यायालयों में सुनवाई हेतु नियत सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में (विचाराधीन बंदीगण से संबंधित प्रकरण, पाँच वर्ष से

अधिक पुराने प्रकरण व माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा के प्रकरणों को छोडकर) निम्नानुसार आगामी तिथियां नियत की जाती हैं–

पेशी दिनांक	**आगामी पेशी दिनांक**
10.04.2021	14.06.2021
15.04.2021	15.06.2021
16.04.2021	16.06.2021
19.04.2021	17.06.2021
20.04.2021	18.06.2021
22.04.2021	21.06.2021
23.04.2021	22.06.2021
24.04.2021	23.06.2021
26.04.2021	24.06.2021
27.04.2021	25.06.2021
28.04.2021	26.06.2021
29.04.2021	28.06.2021

विचाराधीन बंदीगण से संबंधित प्रकरण पाँच वर्ष से अधिक पुराने प्रकरण व माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा के प्रकरणों में 15 दिन के अंदर निम्नानुसार तिथियाँ नियत की जाती है:–

पेशी दिनांक	**आगामी पेशी दिनांक**
10.04.2021	24.04.2021, 08.05.2021, 22.05.2021, 05.06.2021 एवं 18.06.2021
15.04.2021	30.04.2021, 13.05.2021, 28.05.2021, 12.06.2021 एवं 26.06.2021
16.04.2021	01.05.2021, 13.05.2021, 28.05.2021 एवं 12.06.2021
19.04.2021	03.05.2021, 13.05.2021, 28.05.2021 एवं 12.06.2021
20.04.2021	05.05.2021, 20.05.2021, 04.06.2021 एवं 18.06.2021
22.04.2021	07.05.2021, 21.05.2021, 04.06.2021 एवं 18.06.2021
23.04.2021	08.05.2021, 22.05.2021, 07.06.2021 एवं 21.06.2021

24.04.2021	08.05.2021, 22.05.2021, 05.06.2021 एवं 18.06.2021
26.04.2021	10.05.2021, 24.05.2021, 08.06.2021 एवं 22.06.2021
27.04.2021	12.05.2021, 27.05.2021, 10.06.2021 एवं 24.06.2021
28.04.2021	13.05.2021, 28.05.2021 एवं 14.06.2021
29.04.2021	13.05.2021, 28.05.2021 एवं 12.06.2021

माननीय उच्च न्यायालय के एस.ओ.पी. दिनांक 20.04.2021 के प्रकाश में समस्त न्यायाधीशगण को यह निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान परिदृश्य में यदि अभियुक्त/पक्षकार/अधिवक्तागण/साक्षीगण शारीरिक रूप से या अन्यथा न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो किसी भी पक्ष के विरूद्ध कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाये।

sd/-

आलोक अवस्थी
प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
होशंगाबाद (म.प्र.)

पृ0क्र0 856 /दो–1–8/19 **होशंगाबाद दिनांक 21.04.2021**

प्रतिलिपि–

1– समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण, जिला होशंगाबाद

2– प्रस्तुतकार, प्रधान जिला न्यायाधीश होशंगाबाद (म.प्र.)

3– लोक अभियोजक होशंगाबाद (म.प्र.)

4– जिला अभियोजन अधिकारी, होशंगाबाद (म.प्र.)

5– अध्यक्षक/सचिव, अभिभाषक संघ होशंगाबाद/इटारसी/पिपरिया/सोहागपुर/सिवनी मालवा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित्।

6– न्यायाधीश श्रम न्यायालय होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

7– जूनियर सिस्टम एनालिस्ट होशंगाबाद की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि वह समस्त संबंधितों को विविध आदेश की प्रति ई–मेल/व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित कर जिला न्यायालय होशंगाबाद की वेबसाईड पर अपलोड करे।

प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
होशंगाबाद (म.प्र.)

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR

// ADDITIONAL SOP FOR SUBORDINATE COURTS//

No. ________ Jabalpur, Dated 20/04/2021

Looking to the current outbreak of Corona virus, in continuation to SOP issued earlier on 15.01.2021 & 03.04.2021 etc., further additional directions are issued as under:-

1. Districts in which as per assessment of the District Judge concerned, the number of Covid-19 patients of the various stakeholders of District Courts are on higher side, all Courts including Labour Courts and Family Courts shall conduct their court working only for extremely urgent matters by virtual mode by deputing one or more Additional District Judges and one or more Civil Judges/Judicial Magistrates, according to the number of cases for hearing, either in first half or second half of the working hours as may be decided by the District Judge in consultation with the President and Secretary of the Bar Association.
2. Districts where as per assessment of the District Judge concerned, Corona positive cases of various stakeholders of District Courts are comparatively less, then all such Courts including Labour Courts and Family Courts shall work by hybrid mode i.e. both virtual and physical mode.
3. It is incumbent on every Judicial Officer to take care of themselves, their families as well as other stakeholders of

District Court e.g. Employees, Advocates, Prosecution Officers and undertrial Prisoners.

4. In every District, an officer of the rank of the Additional District Judge shall be designated as Covid Compliance Officer for the entire District Judiciary, who shall remain in contact with the Administrative Officers, Chief Medical and Health Officers and other hospital authorities and shall take care of Judicial Officers, other stakeholders and their families, who are Corona positive and shall arrange for them medicines and, if required, shall help them in hospitalization, arrangement of Oxygen, Ventilator and provide other necessary assistance as required. He shall also periodically get Covid test of all stakeholders conducted as per direction of the District Judge concerned.
5. Every Judicial Officer is required to get himself and his/her family members, domestic help tested for Covid-19 periodically.
6. As possible as, 50% staff be deployed in courts on rotational basis and such staff may also be tested for Covid-19 periodically. All staff members and Judicial Officers having any Covid like symptoms should be mandated to immediately bring this to the notice of Covid Compliance Officer, who shall submit report thereof to the District Judge.
7. Crowd in the Court Campus should be avoided and as far as possible, hearing should be made through virtual mode

where the Covid cases are on rise. It shall also be ensured by all the Presiding Officers that every person who enters the court premises / court room mandatorily follows the Covid protocol- namely- use mask, maintain social distancing and sanitization etc.

8. It should be ensured that in the present scenario, no adverse order against any party is passed if accused / litigating party / their advocates do not appear before the Court physically or virtually.
9. Production of the accused before the Court should be allowed only through video conferencing except in the event of remand in the first instance by strictly following the Covid-19 protocol.
10. A report of the working of all the Courts of the Districts shall be sent by the District Judge concerned by 5:00 P.M. on every Wednesday and Saturday of the week.

By Order of Hon'ble the Chief Justice

20.4.21

(RAJENDRA KUMAR VANI)
REGISTRAR GENERAL
20.4.2021